भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5003
01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

5003. श्री सौमित्र खान:
औ राजू बिष्ट:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, परियोजनाओं, योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ दार्जिलिंग और कलिम्पोंग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(घ) दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी स्थित एनबीएचसीएच में केंद्रीय अनुदान से निर्मित किए जा रहे सघन चिकित्सा केंद्रों की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ड.) पीएम केयर्स फंड के माध्यम से पश्चिम बंगाल में स्थापित ऑक्सीजन जेनरेटरों की स्थिति क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ड.): विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना के विकास के लिए आबंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है -

(i) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** यह केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में से एक है जिसके अंतर्गत भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसमें दो उप-मिशन अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात वित्त-वर्ष 2018-19 से वित्त-वर्ष 2020-21 तक पश्चिम बंगाल राज्य को क्रमश: 1116.09 करोड़ रुपये, 1749.32 करोड़ रुपये और 1895.01 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं।

(ii) **ईसीआरपी-1:** कोविड-19 से उत्पन्न खतरे को रोकने, पता लगाने और अनुक्रिया के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपये के "भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-I" (ईसीआरपी-I) को मंत्रिमंडल द्वारा 22 अप्रैल 2020 को मंजूरी दी गई है।
एजेंसी- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इस पैकेज के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को 310.98 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है। यह 100% केंद्र द्वारा वित्त-पोषित है।

(iii) **ईसीआरपी-II:** मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2021 को वित्त-वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये राशि की "भारत कोविड-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-II" (ईसीआरपी-II) स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 की शीघ्र रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधन के लिए तत्काल जवाबदेही हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में तेजी लाना है, जिसमें बाल चिकित्सा परिचर्या और उपाय योग्य परिणामों सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
एजेंसी-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य को 604.76 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है और जो एनएचएम के तहत अनुमोदित केंद्र-राज्य वित्तपोषण के अनुसार है।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, इसलिए स्कीम के उचित कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत पश्चिम बंगाल में 22 बिस्तर वाले गंभीर परिचर्या ब्लॉक की स्थापना हेतु आवंटन किया गया है।

पीएम केयर फंड के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में 49 पीएसए प्लांट शुरू किए गए है, जिसमें सभी प्रचालनरत हो गए हैं।

अनुलग्नक

वित्त-वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक एनआरएचएम के तहत अस्पताल सुदृढ़ीकरण और नए निर्माण / स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों के नवीकरण और स्थापना के अंतर्गत राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	78.00	340.00	133.00
2	आंध्र प्रदेश	7680.76	43234.00	14399.00
3	अरुणाचल प्रदेश	3587.42	2539.94	2828.89
4	असम	9163.29	17637.22	32971.23
5	बिहार	48052.46	52056.00	36045.62
7	छत्तीसगढ	17331.84	12783.53	14343.63
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	5.76
9	दमन और दीव	4.80	5.76	
10	दिल्ली	208.00	590.00	0.00
1 1	गोवा	122.70	34.92	115.80
12	पश्चिम बंगाल	1060.55	2530.00	1075.17
13	हरियाणा	6122.73	7306.01	16762.37
14	हिमाचल प्रदेश	4842.91	5516.00	8731.00
15	जम्मू और कश्मीर	3339.64	6694.80	4363.21
16	झारखंड	6585.40	11191.91	10493.20
17	कर्नाटक	26997.24	23030.02	16083.05
18	केरल	12519.06	13668.61	10734.71
19	लद्दाख	0.00	0.00	3240.67
20	लक्षद्वीप	3.24	0.00	0.00
21	मध्य प्रदेश	29191.08	28839.82	53115.51
22	महाराष्ट्र	29932.97	78537.33	47508.02
23	मणिपुर	1061.70	1666.57	2602.17
24	मेघालय	610.30	895.50	1282.00
25	मिजोरम	115.90	412.00	557.00
26	नगालैंड	2229.48	1087.31	3855.33
27	उड़ीसा	26259.56	42639.59	20665.69
28	पद्दुचेरी	66.00	49.00	4.00
29	पंजाब	10070.00	6950.00	8925.00
30	राजस्थान	24640.87	53445.75	94252.62
31	सिक्किम	412.27	692.81	376.68
32	तमिलनाडु	15882.34	26455.98	32950.88
33	तेलंगाना	5988.31	31449.78	13970.07
34	त्रिपुरा	3455.28	5050.54	4491.00
35	उत्तर प्रदेश	120083.85	43521.56	144397.66
36	उत्तराखंड	2741.93	7061.34	10428.68
37	पश्चिम बंगाल	11622.86	16269.00	17727.50

नोट:

1. उपर्युक्त आंकड़ों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, किराए और आकस्मिकताओं आदि तथा अस्पताल सुदृढ़ीकरण- उन्नयन और नए निर्माण/नवीकरण और स्थापना- सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एसएचसी/उप-केन्द्र, सिविल कार्यों के लिए अवसंरचना विंग की स्थापना, सुविधा सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में संक्रमण प्रबंधन और पर्यावरण योजना के प्रचालन के लिए सिविल कार्य, प्रशिक्षण संस्थानों की अवसंरचना,डीईआईसी (आरबीएसके), एसडीएच, डीएच और सिविल कार्य आदि शामिल है।

2. उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार हैं।